कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

जस्टिस जीएस संधवालिया के समक्ष

याचिककर्त्ता - कुलदीप कुमार आर

बनाम

प्रतिवादी - हरियाणा राज्य और अन्य

1997 का सीडब्ल्यूपी नंबर 18750

24 मई 2013

भारत का संविधान, 1950-कला. 226/22 7 - रिट क्षेत्राधिकार - नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 1982 - आरआई। 2(सी) और प्रविष्टि 64, परिशिष्ट सी - फायरमैन का पद - नियुक्ति - 30/89 दिन के दैनिक वेतन/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति - नियमितीकरण - रोज़गार कार्यालय के माध्यम से नहीं और उचित प्रक्रिया के बिना नियुक्ति के रूप में सेवाओं की समाप्ति - इसे चुनौती देने वाली रिट याचिका बर्खास्तगी खारिज - याचिकाकर्ता को 89 दिनों के दैनिक वेतन/अनुबंध के आधार पर फिर से नियुक्त किया गया - अब नियुक्ति की पेशकश की तारीख से नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए निर्देश की मांग की जा रही है - याचिकाकर्ता की सेवाएं 17.02.2004 को 01.10.2003 से नियमित कर दी गई - एक बार याचिकाकर्ता को विधिवत रोक दिया गया नियमों के तहत

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

योग्य, रोज़गार कार्यालय के माध्यम से प्रायोजित नाम, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत साक्षात्कार और उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ चयनित, दैनिक वेतन/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति टिकाऊ नहीं है - नियुक्ति पत्र में खंड कि याचिकाकर्ता नियमितीकरण का दावा नहीं करेगा, यह स्पष्ट रूप से अवैध है और याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी नहीं है - रिट याचिका स्वीकार की गई।

यह माना गया कि उपायुक्त सिरसा ने याचिकाकर्ता को नियमित आधार पर नियुक्त करने के बजाय इस तथ्य के बावजूद कि उचित चयन किया गया था और याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता के आधार पर विधिवत चयनित किया गया था, याचिकाकर्ता को फिर से दैनिक वेतन/अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े। रिक्त पद इस शर्त के साथ उपलब्ध होंगे कि वह नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता के पास उस समय कोई विकल्प नहीं था और उसने 22.9.1997 को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट की, हालांकि अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट में उसने आपत्ति जताई कि उसके पास इस न्यायालय के दिनांक 21.3.1997 के आदेश के अनुसार कानूनी अधिकार था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.9.1997 को अभ्यावेदन दायर कर अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसे 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि दिनांक 3.7.1997 के निर्देशों के अनुसार उसे फायरमैन के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना था। उक्त

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

अभ्यावेदन स्पष्ट रूप से उत्तरदाताओं द्वारा अनसुना कर दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस प्रकार याचिकाकर्ता के वकील का प्रतिवादी क्रमांक 2- निदेशक लोकल बॉडीज, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा जारी दिनांक 3.7.1997 (अनुलग्नक पी-5) के निर्देशों के खंड (i) पर भरोसा करना उचित था, ताकि यह दिखाया जा सके कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था नियमित आधार पर उपलब्ध रिक्तियों को सेवा में रखा जाना चाहिए और उसी के अनुरूप समायोजित किया जाना चाहिए।

(पैरा 10)

आगे कहा गया कि वर्तमान सहजता के संचयी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होगा कि एक बार याचिकाकर्ता नियमों के तहत विधिवत योग्य था और उसका नाम रोज़गार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका विधिवत साक्षात्कार किया गया था और उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की दैनिक वेतन/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति टिकाऊ नहीं है। उत्तरदाताओं को गर्म या ठंडा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने स्वयं इस न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा था कि याचिकाकर्ता को उचित साक्षात्कार में विधिवत चुना गया था। एक बार ऐसा होने पर रिक्त पद पर याचिकाकर्ता को दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त करने का सवाल ही नहीं उठता था, नियुक्ति आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता नियमितीकरण का

दावा नहीं करेगा, यह स्पष्ट रूप से अवैध था और याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं था। यहां तक कि याचिकाकर्ता ने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट में उस समय उक्त नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी।

(पैरा 11)

आगे कहा गया कि तदनुसार वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को निर्देश जारी किया जाता है कि उसे 16.9.1997 से प्रभावी 950-1500/- के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाए। और उसे इससे उत्पन्न होने वाले सभी परिणामी लाभ प्रदान करना।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता, कमल शर्मा ।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा गुरविंददर एस. संधू ।

प्रतिवादी संख्या 4 के वकील, पी.के.मुत्न्जा ।

जस्टिस जी.एस. संधावालिया

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया) आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

(1) वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिकाकर्ता को फायरमैन के रूप में नियुक्ति की पेशकश करके दिनांक 16.9.1997 (अनुलग्नक पी-4) के नियुक्ति पत्र को संशोधित/प्रतिस्थापित करने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी करने के लिए दायर की गई है। नियमित आधार पर क्योंकि वह फायरमैन के पद के लिए उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता है और फायरमैन के रूप में नियमित नियुक्ति के लिए पूरी तरह से पात्र है।

(2) रिट याचिका में मामला यह है कि याचिकाकर्ता नगर परिषद सिरसा-प्रतिवादी संख्या 4 में फायरमैन के रूप में कार्यरत था और उसने विज्ञान के साथ मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी और हरियाणा द्वारा संचालित प्राथमिक अग्निशमन का बुनियादी पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण किया था। दिसंबर 1994 में राज्य अग्निशमन जल निकासी केंद्र अंबाला कैंट। याचिकाकर्ता हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 1982 (इसके बाद "1982 नियम" के रूप में संदर्भित) के तहत निर्धारित विभिन्न अन्य आइकन और शर्तों को भी पूरा करता है। फायरमैन का पद. याचिकाकर्ता को 6 अन्य व्यक्तियों के साथ एक विधिवत गठित चयन समिति द्वारा रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 30 दिनों के आधार पर और कुछ समय के लिए 89 दिनों के आधार पर फायरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को हरियाणा राज्य के नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा राज्यव्यापी

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

हड़ताल के दौरान 950-1500/- रुपये के नियमित वेतनमान पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा फायरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था और सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 3.7.1997 (अनुलग्नक पी) -5) जिन व्यक्तियों को नगरपालिका समितियों/परिषदों में नियुक्त किया गया था, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियमित आधार पर नियुक्तियाँ दी जानी थीं। याचिकाकर्ता को दैनिक वेतन/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति देने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई दिनांक 3.7.1997 (अनुलग्नक पी-5) के निर्देशों का उल्लंघन थी और याचिकाकर्ता ने पहले के फैसले के मद्देनजर अपने कानूनी अधिकारों के अधीन प्रस्तावित पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। दिनांक 21.3.1997. तदनुसार यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता को 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतन/अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने में प्रतिवादियों का कदम उचित नहीं था।

(3) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से दायर लिखित बयान में यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता और तीन अन्य व्यक्तियों को 6.2.1996 से प्रभावी रोज़गार कार्यालय के माध्यम से दैनिक वेतन/अनुबंध के आधार पर 89 दिनों की अवधि के लिए फायरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। और उन्हें 30 दिनों के लिए काम करने की अनुमति दी गई और उनकी सेवाएं 6.3.1996 को समाप्त कर दी गईं। हड़ताल अवधि के दौरान याचिकाकर्ता और कुछ अन्य व्यक्तियों को प्रतिवादी संख्या 4 के कार्यकारी अधिकारी द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

बिना और नियमित वेतनमान में रोज़गार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया था, जो इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए सक्षम नहीं थे। तदनुसार, इन नियुक्तियों को प्रतिवादी संख्या 3-उपायुक्त, सिरसा द्वारा अशक्त घोषित कर दिया गया था। सरकार के निर्देशानुसार हड़ताल अवधि के दौरान स्थिति से निपटने के लिए कर्मचारियों को केवल दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया जाना था। याचिकाकर्ता और छह अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 1692/1997 राजेंद्र कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य को 21.3.1997 को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का चयन दैनिक वेतन के आधार पर 89 दिनों की अवधि के लिए किया गया था न कि नियमित आधार पर। रिट याचिका के फैसले के बाद याचिकाकर्ता को अनुबंध के आधार पर 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 इन पदों को नियमित आधार पर भरने में सक्षम नहीं था और नियमित नियुक्तियाँ केवल हरियाणा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित) की सिफारिशों पर की जा सकती थीं। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा की गई नियुक्ति को शून्य घोषित कर दिया गया। यह स्वीकार किया गया कि 8 नियमित पद रिक्त थे लेकिन उक्त पद भरे नहीं जा सके क्योंकि इन्हें बोर्ड की सिफारिशों पर भरा जाना था और प्रतिवादी संख्या 4 की वित्तीय स्थिति कमजोर थी।

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

(4) इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से दायर लिखित बयान में यह दलील दी गई थी कि उपायुक्त फायरमैन की नियुक्ति प्राधिकारी थे और उन्होंने हरियाणा सरकार के स्थानीय सरकार विभाग के आयुक्त और सचिव से प्राप्त निर्देशों पर कार्यकारी अधिकारी को भर्ती करने के लिए अधिकृत किया था। दिनांक 13.12.1996 के आदेश के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं को सुरक्षित रखने के लिए स्वच्छता के रखरखाव के लिए आवश्यक कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर नियुक्त करें। 1982 के नियमों के परिशिष्ट 'सी' की प्रविष्टि 64 के साथ पठित नियम 2 (सी) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी उपायुक्त थे और जब यह उनके ध्यान में लाया गया कि याचिकाकर्ता को 17.12.1996 को नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने आदेश पारित किया था दिनांक 9.1.1997 ने उक्त नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया। प्रतिवादी संख्या 4 नगर परिषद सिरसा की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी और इसलिए उसने नियमित पदों को भरना उचित नहीं समझा। नियमित आधार और दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को अलग-अलग वेतनमान दिया जा सकता है और तदनुसार यह अनुरोध किया गया कि रिट याचिका खारिज कर दी जाए।

(5) याचिकाकर्ता के वकील ने तदनुसार तर्क दिया है कि एक बार इस न्यायालय ने 1997 की सिविल रिट याचिका संख्या 1692-राजेंद कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में अपने दिनांक 21.3.1997 के फैसले में राय दी थी जिसमें यह माना गया था कि याचिकाकर्ता

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

नं. 2 एकमात्र व्यक्ति था जिसे उचित रूप से चुना गया था वह 16.9.1997 से नियमितीकरण का हकदार था। चूँकि उक्त प्रस्ताव इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित चयन के अनुसरण में था और इसे 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतन/अनुबंध के आधार के बजाय नियमित आधार पर होना चाहिए था। निदेशक स्थानीय निकाय हरियाणा द्वारा जारी निर्देश दिनांक 3.7.1997 {अनुलग्नक पी-5) का भी संदर्भ दिया गया है। चंडीगढ़ कि जिन व्यक्तियों को हड़ताल अवधि के दौरान नियमित आधार पर नियुक्त किया जा रहा था, उन्हें सेवा में रखा जाना चाहिए और उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए।

(6) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि उपायुक्त नियमों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी थे और याचिकाकर्ता की नियुक्ति 17.12.1996 को प्रतिवादी संख्या 4-नगर परिषद, सिरसा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियमित वेतनमान में की गई थी। बिना अधिकार के और 9.1.1997 को उपायुक्त, सिरसा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता और अन्य छह व्यक्तियों की सेवाएं पहले ही समाप्त कर दी गई थीं जब उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उनकी रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार याचिकाकर्ता दिनांक 3.7.1997 (अनुलग्नक पी-5) के निर्देशों के खंड 2(ii) के अनुसार नियमितीकरण का हकदार था, जिसमें प्रावधान है कि जिन व्यक्तियों को दैनिक वेतन/तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, वे उपलब्ध रिक्तियों के

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

विरुद्ध समायोजित किए जाने के लिए उत्तरदायी थे। जिले में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार नियमित किया जाये। तदनुसार यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को 17.2.2004 को 1.10.2003 से नियमित किया गया था और उसने बहस के दौरान मार्क-ए के रूप में रिकॉर्ड पर रखे गए दिनांक 8.6.2007 के आदेश पर भरोसा किया, जिसमें उसकी इंटर-एससी वरिष्ठता तय की गई थी, फोटोकॉपी उनकी सेवा पुस्तिका के प्रासंगिक पृष्ठ में 1.10.2003 से उनके नियमितीकरण की तारीख दर्शाई गई थी, जिसे मार्क-बी के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया था।

(7) पक्षों के वकील को सुनने के बाद इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम है कि उसका चयन उचित प्रक्रिया के तहत किया गया था और उसका नाम रोज़गार कार्यालय, सिरसा द्वारा 31.1.1997 को आयोजित साक्षात्कार में प्रायोजित किया गया था। उपायुक्त, सिरसा द्वारा गठित एक समिति द्वारा, जो नियुक्ति प्राधिकारी था। इस तथ्य को उपायुक्त सिरसा द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा अन्य कर्मचारियों के साथ दायर पूर्व रिट याचिका में दायर जवाब में स्वीकार किया गया है जिसमें उसे याचिकाकर्ता नंबर 2 के रूप में रखा गया था। याचिकाकर्ता ने फायरमैन के पद के लिए सभी योग्यताएं पूरी की और उसने रिक्त पद के विरुद्ध चयन किया गया था यह साक्षात्कार समिति द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही से स्पष्ट होगा जो निम्नानुसार है: -

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

"उम्मीदवार, जिनके नाम, पते और अन्य विवरण अनुबंध ए में दिए गए हैं, ने 31.1.1997 को फायरमैन के पद के लिए साक्षात्कार में भाग लिया था। साक्षात्कार समिति द्वारा इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। उम्मीदवारों को व्यावहारिक परीक्षण जैसे चढ़ाई, दौड़ और तैराकी आदि से भी गुज़रना आवश्यक था।

शारीरिक फिटनेस, नौकरी कौशल का ज्ञान, व्यावहारिक परीक्षण और नियमों के तहत अन्य आवश्यकताओं के आधार पर, केवल एक उम्मीदवार अर्थात् श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री सूरज भान सी/ओ हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, सूरज थिएटर के पास, सिरसा को इसके लिए उपयुक्त पाया गया। नौकरी और तदनुसार उसका चयन किया जाता है।

अधोहस्ताक्षरी

ए.डी.सी. सिरसा अधोहस्ताक्षरी

ई.ओ.एम.ई. सिरसा अधोहस्ताक्षरी

अग्निशमन अधिकारी, सिरसा

(8) पिछली रिट याचिका में उपायुक्त सिरसा द्वारा बचाव में कहा गया था कि 17.12.1996 को की गई पिछली नियुक्ति कार्यकारी अधिकारी द्वारा उचित नहीं थी और इसलिए

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

याचिकाकर्ता को रोज़गार कार्यालय, सिरसा के माध्यम से बुलाया गया था और साक्षात्कार 31.1.1997 को आयोजित किया गया था। इस साक्षात्कार के अनुसरण में याचिकाकर्ता का विधिवत चयन किया गया था जैसा कि उपरोक्त समिति की कार्यवाही से स्पष्ट होगा। 1997 की सिविल रिट याचिका संख्या 1692, राजेंद्र कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में दायर लिखित बयान के पैराग्राफ संख्या 15 का अवलोकन करने से पता चलता है कि याचिका यह थी कि याचिकाकर्ता ने 31.1.1997 को आयोजित साक्षात्कार में भाग लिया था और वह था इस प्रकार वह समाप्ति के पहले के आदेशों को चुनौती देने से वंचित हो गया। लिखित बयान का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है :-

"रिट याचिका के पैरा नंबर 15 के जवाब में यह प्रस्तुत किया गया है कि जब सभी याचिकाकर्ता पहले ही भाग ले चुके हैं और अतिरिक्त उपायुक्त, सिरसा की अध्यक्षता में 31.1.1997 को आयोजित बाद के साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे और उनके नाम प्रायोजित किए गए थे रोजगार कार्यालय, सिरसा के पास उक्त साक्षात्कार को चुनौती देने का अब कोई अधिकार नहीं है, जिसमें वे सभी अपनी स्वेच्छा से सक्रिय रूप से भाग लेते थे और उनके पास दिनांक 9.1.1997 के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार, कारण, आधार या अवसर भी नहीं है क्योंकि उपरोक्त साक्षात्कार आयोजित किया गया था। आदेश दिनांक 9.1.1997 को पारित होने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 दिनांक 17.12.1996 के आदेशों को कानूनी रूप से अनुमोदित

नहीं किया गया है क्योंकि यह नियमों और प्रत्यायोजित शक्तियों का उल्लंघन था। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा पारित दिनांक 9.1.1997 का आदेश काफी कानूनी और वैध है और इसे रद्द नहीं किया जा सकता जैसा कि इस पैरा में आरोप लगाया गया है।"

(9) उपायुक्त, सिरसा द्वारा उठाए गए उपरोक्त रुख के मद्देनजर, इस न्यायालय ने दिनांक 21.3.1997 को आदेश पारित किया, जिसमें इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता एकमात्र योग्य उम्मीदवार था और उसके बाद रिट याचिका खारिज कर दी। आदेश दिनांक 21.3.1997 इस प्रकार है -

"नियमित आधार पर भरे जाने वाले फायरमैन के पद के लिए एक समिति द्वारा याचिकाकर्ताओं का विधिवत साक्षात्कार लिया गया था। सभी सात याचिकाकर्ताओं के साथ तीन अन्य का साक्षात्कार लिया गया। याचिकाकर्ता संख्या 2 के अलावा अन्य सभी आवेदक शारीरिक मानक/फिटनेस के कारण या तो अयोग्य पाए गए या साक्षात्कार के दौरान उपयुक्त नहीं पाए गए। दूसरे शब्दों में दस में से एक का चयन किया गया। पदों की संख्या सात थी। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि शेष छह पदों के लिए नये सिरे से चयन होगा। चूंकि याचिकाकर्ताओं पर विधिवत विचार किया गया है और उनमें से एक का चयन भी किया गया है, इसलिए हमें नहीं लगता कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला बनता है। इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

बाद याचिकाकर्ताओं के पहले काम करने के तथ्य के संबंध में एक गंभीर विवाद है। याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं को यह साबित करने के लिए आवश्यक अभ्यावेदन दे सकते हैं कि उन्होंने वास्तव में उस अवधि के लिए काम किया है जिस अवधि के लिए वे मजदूरी का दावा कर रहे हैं। उत्तरदाता कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व का निर्णय लेंगे। मार्च 21,1997.

अधोहस्ताक्षरी/- आर.एस. मोंगिया (न्यायाधीश)

अधोहस्ताक्षरी/- एम.एल. सिंघल (न्यायधीश)

(10) इस तथ्य के बावजूद कि उचित चयन किया गया था और याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता के आधार पर विधिवत चयनित किया गया था, उपायुक्त, सिरसा ने याचिकाकर्ता को नियमित आधार पर नियुक्त करने के बजाय याचिकाकर्ता को फिर से दैनिक वेतन/अनुबंध पर नियुक्त करने के लिए कदम उठाया। उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर इस शर्त के साथ कि वह नियमित वेतन का दावा नहीं करेगा। याचिकाकर्ता के पास उस समय कोई विकल्प नहीं था और उसने 22.9.1997 को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट की, हालांकि अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट में उसने आपत्ति जताई कि उसके पास इस न्यायालय के दिनांक 21.3.1997 के आदेश के अनुसार कानूनी अधिकार था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.9.1997 को अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसे 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि दिनांक 3.7.1997 के निर्देशों के अनुसार उसे

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

फायरमैन के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना था। उक्त अभ्यावेदन स्पष्ट रूप से उत्तरदाताओं द्वारा अनसुना कर दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस प्रकार याचिकाकर्ता के वकील का प्रतिवादी क्रमांक 2 - निदेशक स्थानीय निकाय हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा जारी निर्देश दिनांक 3.7.1997 (अनुलग्नक पी-5) के खंड (i) पर भरोसा करना उचित था, यह दिखाने के लिए कि जिन व्यक्तियों को उपलब्ध के विरुद्ध नियुक्त किया गया था नियमित आधार पर रिक्तियों को सेवा में रखा जाना चाहिए और उसी के अनुरूप समायोजित किया जाना चाहिए। उक्त निर्देशों का खंड(i) इस प्रकार है :-

नम्बर - डी एल बी - 97/3 - ई/39230-327 दिनांक - 3.7.97

निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा सभी उपायुक्तों के माध्यम से प्रशासकों/कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों को संबोधित पत्र की प्रति।

विषय: हड़ताल के दौरान नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को वेतन भुगतान के संबंध में ।

ऊपर उल्लिखित विषय पर इस निदेशालय के ज्ञापन संख्या DEB-97-31728061 दिनांक 13.5.1997 का संदर्भ ।

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया) आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

(2) हड़ताल के दौरान नगर निगम समितियों/परिषद में नियमित रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों को वेतन आदि के भुगतान के संबंध में कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस मामले पर निम्नलिखित बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट की गयी है ।

(i) शासनादेश के अनुसार जो कर्मचारी नगर पालिकाओं में नियमित रूप से नियुक्त किये गये थे उन्हें सेवा में रखा जाये तथा उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किया जाये। यदि रिक्तियों के अभाव में उन्हें समायोजित करना संभव नहीं है तो उनकी वरिष्ठता के अनुसार कर्मचारियों की सूची इस निदेशालय को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को किसी अन्य नगर पालिका में समायोजित करने की व्यवस्था होने तक उनके वेतन का भुगतान संबंधित नगर पालिका द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(11) तदनुसार, वर्तमान मामले के संचयी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होगा कि एक बार याचिकाकर्ता नियमों के तहत विधिवत योग्य था और उसका नाम रोज़गार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था और उसका विधिवत साक्षात्कार किया गया था। सक्षम प्राधिकारी और उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध चयनित दैनिक वेतन/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति टिकाऊ नहीं है। उत्तरदाताओं को गर्म या ठंडा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने स्वयं इस न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा था

कि याचिकाकर्ता को उचित साक्षात्कार में विधिवत चुना गया था। एक बार ऐसा होने पर रिक्त पद पर याचिकाकर्ता को दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त करने का सवाल ही नहीं उठता था। नियुक्ति आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता नियमितीकरण का दावा नहीं करेगा, यह स्पष्ट रूप से अवैध था और याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं था। यहां तक कि याचिकाकर्ता ने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट में उस समय उक्त नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी।

(12) तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए निर्देश जारी किया जाता है ताकि उसे 950-1500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त किया जा सके। 16.9.1997 से और उससे उत्पन्न होने वाले सभी परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता को उक्त परिणामी लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए।

एस. गुप्ता

कुलदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जस्टिस जी.एस. संधावालिया) आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा